रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235684
CG-DL-E-10052022-235684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944
No. 331] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

सा.का.नि. 346(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii), उपधारा (6क) और उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (**पंद्रहवाँ संशोधन**) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के अवसान के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962, —

(क) नियम 114 के उपनियम (3), में खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(vii) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii) के अधीन विहित संव्यवहार करने का आशय रखता है, उस तारीख से, जिसको उक्त संव्यवहार करने का आशय रखता है, कम से कम सात दिवस पहले, किया जाएगा।";

(ख) नियम 114ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**114खक. धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii) के प्रयोजनों के लिए संव्यव्हार.** —धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित संव्यव्हार होगें, अर्थात्: —

(क) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या डाकघर में, किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातें में, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपये तक संकलित नकद निक्षेप या निक्षेप;

(ख) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या डाकघर में, किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातें से, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपये तक संकलित नकद प्रत्याहरण या प्रत्याहरण;

(ग) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या डाकघर में, किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाता या नकद प्रत्यय खाता खोलना।"।

(ग) आय-कर (पंद्रहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा इस प्रकार अंत:स्थापित नियम 114खक के पश्चात्, उस तारीख से, जिसकों राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, साठ दिवस के अवसान के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा:—

"**114खख. धारा 139क की उपधारा (6क) के प्रयोजनों के लिए संव्यव्हार और धारा 139क के स्पष्टीकरण के खंड (कख) के प्रयोजनों के लिए विहित व्यक्ति.** —

(1) प्रत्येक व्यक्ति, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संव्यवहार करते समय, ऐसे संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों में यथास्थिति अपना स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या, उत्कथित करेगा और उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे दस्तावेजों को प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त संख्या सम्यक् रूप से उत्कथित और अधिप्रमाणित की गई है—

सारणी

क्रम सं.	संव्यवहार की प्रकृति	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातें में, किसी वित्तीय वर्ष में, बीस लाख रूपये तक संकलित नकद निक्षेप या निक्षेप,— (i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) डाकघर में	(i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा निर्दिष्ट महाडाकपाल ।

2.	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातें से, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपये तक संकलित नकद प्रत्याहरण या प्रत्याहरण,— (i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ; (ii) डाकघर में	(i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा निर्दिष्ट महाडाकपाल ।
3.	किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाता या नकद प्रत्यय खाता खोलना,— (ii) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) डाकघर में	(i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा निर्दिष्ट महाडाकपाल ।

(2) धारा 139क में निर्दिष्ट अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना के साथ स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या, बोर्ड के अनुमोदन से प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) अथवा प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली), स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया के साथ रूपविधान और मानक अधिकथित करेंगे ।"

[अधिसूचना सं. 53/2022/फा.सं 370142/49/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन प्रभाग

टिप्पण:— मूल नियम अधिसूचना संख्याक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च,1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्याक 343(अ) तारीख 09 मई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।